

फर्द अहकाम

(नियम 13)

08

GCMS

2020/00000
28.10.2020

ज अदालत तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री.

बाबु

हलका निबंलकोट

पुत्र श्री

सुखा

जाति हाथी

निवासी-

निबंलकोट

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं.08/वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
10-7-2020	<p>पटवारी हलका <u>निबंलकोट</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् <u>2077</u> में मौज <u>निबंलकोट</u> के खसरा नंबर <u>177</u> रकबा <u>20009 फी</u> किस्म भूमि <u>जे.क्यू. गोरवा</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>29-7-2020</u> को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	
29-7-2020	<p><u>पत्रावली साफ पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पटवारी हलका उपस्थित। गैर सायल को एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13-7-2020 को प्रस्तुत हो।</u></p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	<p><u>बाबु सुखा</u> <u>प. निबंलकोट</u></p>

13-8-2020

पत्रावली भाण पेश हुई। गैर साधक
अनुपास्थित। पञ्चारी हल्का अनुपास्थित।
पत्रावली दिनांक 26-8-2020 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

26-8-2020

पत्रावली भाण पेश हुई। गैर साधक
अनुपास्थित। पञ्चारी हल्का उपास्थित।
गैर साधक को अतिक्रम चोषित कर
हुए, पत्रावली फेलन सुगार है।
निर्णय सत्य है लिखा जाकर
शासिक पत्रावली है। पत्रावली
फेलन सुगार होकर शक्तिवत दफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर



पं. निम्बालकोट